

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प्रस्था/विस/५१५

दिनांक: 7/8/2018

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प्रस्था/विस/3565-85 दिनांक 19.7.2018 में संलग्न सूची में क्र.सं.-4 मधुलिका सींवर प्रोबेशनर ट्रेनीज को आवंटित कार्यालयों में संशोधन कर एक सप्ताह (दिनांक 6.8.2018 से 10.8.2018) के प्रशिक्षण हेतु मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के स्थान पर मुख्य वन संरक्षक, कोटा कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

एच-  
(अशोक प्रधान)  
वित्तीय सलाहकार  
वन विभाग, राज. जयपुर


क्रमांक: प्रस्था/विस/ ५१५-२५

दिनांक 7-8-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोटा/जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, कोटा/बांरा/जयपुर/जयपुर (उत्तर)/वन्यजीव, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय, हाजां, जयपुर।
5. मधुलिका सींवर राज. लेखा सेवा के प्रोबेशनर ऑफिसर्स को पालानार्थ।

६. प्रगारी कम्प्यूटर २०१८

  
वित्तीय सलाहकार  
वन विभाग, राज. जयपुर